

&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

**माननीय सभापति :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आइटम नंबर 2 से 7.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री भूपेन्द्र यादव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4432/17/21 ]

- (3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप-योजित बीमा (संशोधन) योजना 2021 जो 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.299(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धिपत्र जो 3 मई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.315(अ) में प्रकाशित हुआ था । (केवल हिन्दी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4433/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से,

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4434/17/21 ]

- (3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी070 में प्रकाशित हुए थे ।
  - (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी071 में प्रकाशित हुए थे ।
  - (तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफॉर्मेशन यूटीलिटीज) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी072 में प्रकाशित हुए थे ।

- (चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी073 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों के लिए शासी बोर्ड और मॉडल उप-विधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी074 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.256(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT4435/17/21 ]

- (4) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.415(अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (दो) सा.का.नि.408(अ) जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT4436/17/21 ]

- (5) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 10क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1 जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जो 13वीं परिषद, 2021 की ईस्टर्न इंडिया रीजनल कंस्टीट्यूंसी की नेमैतिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4437/17/21 ]

- (6) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सनदी लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई-सीए(7)/197/2021 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) सनदी लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई-सीए(7)/196/2021 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT4438/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति, जून, 2021 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4439/17/21 ]

- (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2020 जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) फेसलैस मूल्यांकन (पहला संशोधन) योजना, 2021 जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 741(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) का.आ. 742(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 3265 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2021 जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 162(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.

194(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 212(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) फेसलैस अपील (संशोधन) योजना, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1438(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) का.आ. 1439(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3291(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 5 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 250(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (सोलह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सत्रह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 4 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (अठारह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (उन्नीस) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (इक्कीस) का.आ. 2336(अ) जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बाईस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तेईस) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.

472(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन  
।

[Placed in Library, See No. LT4440/17/21 ]

(3) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 12 की उप-  
धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति  
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3847(अ) जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के  
राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष  
कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर  
करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक  
ज्ञापन ।

(दो) का.आ. 4804(अ) जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के  
राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष  
कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर  
करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक  
ज्ञापन ।

(तीन) का.आ. 471(अ) जो 31 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र  
में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद  
से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की  
तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का.आ. 1704(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र  
में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद  
से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की  
तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) का.आ. 2581(अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में  
प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से  
विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की  
तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) का.आ. 964(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4441/17/21 ]

(4) कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों की छूट) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1703(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ. 2580(अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4442/17/21 ]

(5) वित्त कर अधिनियम, 2016 की धारा 179 के अंतर्गत इकेलाइजेशन लेवी (संशोधन) नियम, 2020 जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3865 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4443/17/21 ]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क्यू के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4444/17/21 ]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 की उप-धारा (4) और धारा 9ख के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/13 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंडर राइटर्स) (निरसन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/15 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और टेकओवर) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/19 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/21 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/22 में प्रकाशित हुए थे ।

- (सात) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/24 जो 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो निकायों को अर्हक वित्तीय बाजार भागीदारों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/09 में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/11 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14 में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/17 में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/16 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का भुगतान

और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यस्थ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/10 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT4446/17/21 ]

(9) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 जो 19 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4447/17/21 ]

(10) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और क्लियरिंग निगम) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च,

- 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/12 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीबद्धकरण) विनियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021-25 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT4448/17/21 ]

- (11) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सिक्का निर्माण (श्रीला ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) सिक्का निर्माण (श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 300 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT4449/17/21 ]

- (12) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 204(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 16 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) का.आ. 1274(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय उसमें उल्लिखित छह विनिर्मित ओषधियों और विनिर्मित ओषधियों के साल्ट और तैयारी की प्रक्रियाओं को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) का.आ. 1275(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय उसमें उल्लिखित पंद्रह विनिर्मित ओषधियों और विनिर्मित ओषधियों के साल्ट और तैयारी की प्रक्रियाओं को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) का.आ. 1276(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय तैतीस स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की 'लघु मात्रा' और 'वाणिज्यिक मात्रा' अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4450/17/21 ]

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत 15 अप्रैल, 2021 के आदेश संख्या एफ. संख्या 225/22/2021-आईटीए-दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4451/17/21 ]

(14) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 4 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ.1068(अ) जो दिनांक 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का.आ.1207(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) अधिसूचना सं. 31/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) अधिसूचना सं. 32/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (छह) का.आ.1419(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) अधिसूचना सं. 40/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ.1628(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) अधिसूचना सं. 43/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ.1728(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना सं. 46/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 6 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और

भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.1857(अ) जो दिनांक 13 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना सं. 48/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 20 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.2097(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) अधिसूचना सं. 51/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.2338(अ) जो दिनांक 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.2349(अ) जो दिनांक 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-

स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) अधिसूचना सं. 54/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ.2664(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) अधिसूचना सं. 57/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) अधिसूचना सं. 59/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.2845(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.226(अ) जो दिनांक 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 69/2011-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट माल के संबंध में टैरिफ रियायतों को गहन बनाया जा सके जब उनका आयात भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुसार 01.04.2021 से जापान से किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन I

(चौबीस)सा.का.नि.235(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि (एक) एक्स-रे मशीनों के पीएमपी के अनुसार, एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर बीसीडीको बढ़ाया जा सके, (दो) विद्युतचालित वाहनों के पीएमपी के अनुसार, विद्युतचालित वाहनों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट माल पर बीसीडी को बढ़ाया जा सके, और (तीन) अन्य संबंधी बदलावों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन I

(पच्चीस)सा.का.नि.237(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि एक्स-रेमशीनों के पीएमपी के अनुसार एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर स्वास्थ्य उपकरण से छूट को जारी रखी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन I

(छब्बीस)सा.का.नि.236(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 अधिसूचना सं. 52/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की संशोधित प्रथम अनुसूची के साथ इसे संरेखीय किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन I सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची को वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा संशोधित किया गया था I

(सत्ताईस)सा.का.नि.241(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) के कार्यान्वयन की पहली श्रृंखला को अधिसूचित किया जाना है ताकि भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए), जो कि दिनांक 01.04.2021 से प्रभाव में आया है, के अनुसार विनिर्दिष्ट माल के मॉरीशस से आयात पर टैरिफ रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठाईस)सा.का.नि.253(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निम्नलिखित अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 के प्रासंगिक धाराओं के सन्दर्भ में वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के सन्दर्भों को प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा.का.नि.284(अ) जो दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशासनिक मंत्रालयों की अनुशंसाओं के आधार पर कोविड-19 के राहत उपाय के रूप में 31 अक्टूबर, 2021 तक रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर के उत्पादन में प्रयुक्त रेमडेसिविरएपीआई तथा बीटासाक्लोडेक्सिट्रन (एलबीईबीसीडी) के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उगाही योग्य सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा.का.नि.286(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 के राहत उपाय के रूप में 31 जुलाई, 2021 तक मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चिकित्सा उपकरण एवं उनके विनिर्दिष्ट पुजो, वेंटीलेटरों तथा विनिर्दिष्ट उप-साधनों तथा कोविड-19 वैक्सीनों के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उगाही योग्य सीमा शुल्क तथा वित्त नियम, 2020 की धारा 141 के अंतर्गत उगाही योग्य स्वास्थ्य शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस)सा.का.नि.303(अ) जो दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशासनिक मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर, कोविड -19 उपचार उपाय के रूप में, इन्फ्लेमेन्ट्री डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, यथा- 116, डी-डायमर, सीआरपी (सी-रिआक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेड डी-हाइड्रोजेनस), फेरिटिन, प्रो-केलसीटोनिन ( पीसीटी ) और ब्लड गैसरिजेन्ट्स के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क पर दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक छूट प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस)सा.का.नि.313(अ) जो दिनांक 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2021 तक 28% से 12% तक निजी उपयोग के लिए आयातित ऑक्सिजन केंद्रक पर आईजीएसटी को कम किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेतीस)सा.का.नि.354(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 24 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना सं. 28/2021-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि कोविड-19 राहत उपाय के रूप में एम्फोट्रीसिन बी के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क में छूट दी जा सके और उक्त मूल अधिसूचना के तहत दिनांक 31 अगस्त 2021 तक दी जा रही छूट को भी बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौतीस) सा.का.नि.355(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 27/2021- सीमाशुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 और अधिसूचना सं. 28/2021-सीमाशुल्क, दिनांक

24 अप्रैल, 2021 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगाए जाने वाले एकीकृत कर से 31 अगस्त, 2021 तक कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, कुछ शर्तों के आधीन, जैसा कि जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में अनुशंसा की गई है, के अनुसार छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस)सा.का.नि.401(अ) जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 30/2021, दिनांक 01.05.2021 को रद्द करना है क्योंकि यह जीएसटी परिषद् की दिनांक 12.06.2021 को हुई अपनी 44वीं बैठक की अनुशंसा के आधार पर अधिसूचना संख्या 05/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14.06.2021के तहत ऑक्सीजन संकेंद्रकों पर आईजीएसटी की दर को कम किए जाने के प्रावधान के पश्चात् अनावश्यक हो गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस)सा.का.नि.449(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2021 तक कूड पाम तेल [1511 10] पर बेसिक सीमाशुल्क 15% से 10% और कूड पाम तेल से भिन्न पाम तेल पर [151190] 54% से 37.5% घटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैंतीस) सा.का.नि.316(अ) जो दिनांक 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 सुरक्षा उपाय के, शर्तों के अधीन अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 और अधिसूचना सं. 28/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत कर में छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तीस)सा.का.नि.353(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तदर्थ रियायत आदेश सं. 04/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 3 मई, 2021 में संशोधन करके कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर, उक्त मूल तदर्थ रियायत आदेश की वैधता को दिनांक 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतालीस) सा.का.नि.487(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 राहत उपायों के रूप में 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई)/ एक्फोटेरिसिन बी के पदार्थों के आयात पर और 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए कोविड-19 परीक्षण किट विनिर्माण के लिए कच्चे मालों के आयात पर भी कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1917 के प्रथम अनुसूची के तहत लगाए गए सीमा शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चालीस) सा.का.नि.493(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात होने के बाद माल के पुनः आयात पर आईजीएसटी की उद्ग्रहणीयता को स्पष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतालीस) सा.का.नि.494(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 46/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात होने के बाद माल के पुनः आयात पर आईजीएसटी की उद्ग्रहणीयता को स्पष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बयालीस) सा.का.नि. 467(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा "भारत का अन्य 4 देशों के साथ सीमा-शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर प्रशासनिक सहायता" संबंधी समझौतों या व्यवस्थाओं को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 224(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31.03.2022 तक ईओयू द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चवालीस) सा.का.नि. 232(अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकृत और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर 31.03.2020 तक एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4452/17/21 ]

(15) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 252(अ) जो 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं को संशोधित करना है, ताकि वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 की प्रासंगिक धाराओं के संदर्भों में वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के संदर्भों को प्रतिस्थापित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4453/17/21 ]

(16) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सीमा-शुल्क भारत गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के बीच समग्र

आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल स्थान का निर्धारण नियम, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4454/17/21 ]

(17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ भारत गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के बीच समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल स्थान का निर्धारण नियम, 2021 जो 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 163(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4455/17/21 ]

(18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 167 (अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या निर्यात होने वाले 'सिप्रोफलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड' के आयात पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 2 सितम्बर, 2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचारों के महानिदेशक के द्वारा जारी काए गए अपने अंतिम परिणामों की अनुशंसा किए जाने के आधार पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 199 (अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या आयातित "फेस्ट ग्लास वूल इन रोल्स" के आयात पर

निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 18.03.2021 से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 213 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “टायर के लिए टायर क्यूरिंग प्रेसेस” के आयात पर व्यापार उपचारों के महानिदेशालय के अनुरोध पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को दिनांक 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 214 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), को पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोड़ते हुए निरस्त करना है क्योंकि यूरोपियन संघ, इन्डोनिशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 2-इथिल हैक्सोनोल के आयात पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जैसा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सनसेट रिव्यू के निष्कर्षों में सिफारिश की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 215 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपियन संघ, इन्डोनिशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले 2-इथिल हैक्सोनोल के आयात पर नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचारों के महानिदेशालय द्वारा जारी की गई सनसेट रिव्यू परिणामों की अनुशंसा के

अनुसार और आगे भी 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 216 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित पॉलीथीन टेरिफथेलेट (पीईटी) के आयात पर 5 वर्ष के लिए नियत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जैसा कि व्यापार उपचारों के महानिदेशालय के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम परिणामों में सिफारिश की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 233 (अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करते हुए चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या आयातित मेलामाइन पर और आगे की अवधि के लिए जिसमें दिनांक 30 सितंबर, 2021 भी शामिल है, जो कि व्यापार उपचारों के महानिदेशालय, नामित प्राधिकरण द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 251 (अ) जो 5 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल पोलियोलेन स्लैबस्टाक, जिसका अणुभार 3000-4000 हो" के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 260(अ) जो 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या निर्यात होने वाले सामान्य ब्यूटानोल या एन-ब्यूटाइल अल्कोहल के आयात पर पांच

वर्ष की अवधि के लिए और आगे भी निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी सैनसेट रिव्यू के निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 264(अ) जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के संदर्भ में व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर आगे की अवधि के लिए और 20 अक्टूबर, 2021 सहित चीन जनवादी गणराज्य से उत्पन्न “ बेरियम कार्बोनेट “ के आयात या निर्यात पर एंटी डंपिंग शुल्क बढ़ाने के लिए दिनांक 21 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2016- सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 264(अ) जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 अधिसूचना सं. 50 2018- सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करके वियतनाम और यूरोपीय संघ में उत्पादित या निर्यात होने वाले नाइलोन फिलामेंट यार्न ( मल्टी- फिलामेंट) के आयात पर कतिपय विशिष्टता वाले माल को प्रतिपाटन शुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा जाना है, जिसे नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 288(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, ताकि दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले

पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) पर लगाये जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क के उल्लंघन को रोका जा सके, जिसे नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी धोखाधड़ी-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 290(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, ताकि दिनांक 28 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीन में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) पर लगाये जाने वाले प्रतिपाटन शुल्कन के उल्लंघन को रोका जा सके, जिसे नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी धोखाधड़ी-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 294(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख जो दिनांक 9 जून, 2020 है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) सा.का.नि. 298(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 2 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 43/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूई में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले टोल्यू इनी डी-आइसोसाईनेट (टीडीआई) जिसमें

आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में हो, ऐसे माल पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को वापस लिया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 297(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले टोल्यूइनी डी-आइसोसाईनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में हो, के आयात पर अनंतिम एडीडी को लगाए जाने की तारीख से, जो कि दिनांक 2 दिसंबर, 2020 है, पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 324(अ) जो दिनांक 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी राज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 'लोहे के, मिश्रित या गैर-मिश्रित स्टील से निर्मित जोड़ रहित ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल्स' पर और आगे भी प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसमें दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि भी शामिल है, जिसे व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर दिनांक 17 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 07/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके किया गया है, ताकि उक्तन माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित सनसेट रिव्यूस जांच को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके तथा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा.का.नि. 339(अ) जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 11 जुलाई 2016 की अधिसूचना सं. 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन

जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए पर जिसमें दिनांक 10 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में किया जा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा.का.नि. 350(अ) जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी राज्यत में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 'मिथाइल एसीटोएसीटेट' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा.का.नि. 388(अ) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, रूस से उत्पन्न पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन के आयात या निर्यात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को बढ़ाने के लिए दिनांक 06 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा.का.नि. 389(अ) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यूरोपीय संघ और सिंगापुर से उत्पन्न फिनोल के निर्यात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को बढ़ाने के लिए दिनांक 8 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 6/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा.का.नि. 442(अ) जो दिनांक 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "3% से कम जल अवशोषण के साथ पॉलिश या बिना पॉलिश किए गए ग्लोज़ड/अनग्लोज़ड चीनी मिट्टी के बरतन/विट्रीफाइड टाइल्स" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा.का.नि. 444(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 30 नवंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 11/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित "टायर के लिए टायर क्योरिंग प्रेस" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा.का.नि. 445(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 15 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 11 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 17/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, रूस, ब्राजील या इण्डोनेशिया से उत्पन्न या निर्यातित "एलौय या नॉन एलौय स्टील के हॉट रोल्ल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा.का.नि. 446(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 15 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख

भी शामिल है, दिनांक 12 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 18/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, यूक्रेन, से उत्पन्न या निर्यातित "एलौय या नॉन एलौय स्टील के कोल्ड रोल्ल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 456(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अवलोकन में 31 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित पीवीसी फ्लेक्सी फिल्म पर एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 08 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 42/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सताईस) सा.का.नि. 455(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, चीनी जनवादी गणराज्य और इण्डोनेशिया में "बैम्बू फाइबर, डायड फाइबर, मोडल फाइबर और फायर-रिट्रेडेंट फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)" के आयात पर दिनांक 08 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 43/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क की लेवी को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 451(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 13 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 14 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 34/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत वियतनाम से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "6 मिमी और अधिक मोटाई वाली प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड"

के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4456/17/21 ]

(19) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की वार्षिक समीक्षा तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार के दायित्वों की पूर्ति करने में विचलन के बारे में एक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4457/17/21 ]

(20) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 223(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 14/2020 के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने के लिए संदेह शास्ति में छूट प्रदान करना है जिनमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि करदाताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणी बीसी आपूर्तियां करते समय ऐसे बीजक जारी करेगी जिसमें डायनमिक क्यूआर कोड हो ।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 292 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 304(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल, 2021 के माह के लिए ब्याज दर को कम करके राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 305(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट करदाताओं और विनिर्दिष्ट कर

अवधियों के लिए विलंब शुल्क में माफी देने के लिए अधिसूचना संख्या 76/2018-केंद्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 306(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म दाखिल करने के लिए नियत तिथि को 31.05.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 307(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवरी-मार्च, 2021 की अवधि के लिए आईटीसी-04 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 31 मई, 2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 308(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 310(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168क के अधीन शक्तियों का उपयोग करके 15.04.2021 से 30.05.2021 के बीच पड़ रहे विनिर्दिष्ट अनुपालनों को 31.05.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) का.आ. 2129(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.06.2021 को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन से संबंधित वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 112 के उपबंधों के लागू होने की तिथि के रूप में नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 361(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मई, 2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 15 दिन तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 362(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 तक की कर अवधियों के विनिर्दिष्ट समय के लिए ब्याज दर को कम करके राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 363(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट करदाताओं और विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक के लिए माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क में सशर्त माफी प्रदान करना है एवं माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क में माफी प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) सा.का.नि. 364(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - एक में बाह्य आपूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 365(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - चार प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 366(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - सात प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा.का.नि.367(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-बीजक जारी करने की आवश्यकता के दायरे से सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों को बाहर करने के लिए अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर में संशोधन करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा.का.नि.368(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15.04.2021 से 29.06.2021 तक की अवधि के दौरान पड़ने वाले अनुपालनों की नियत तिथि को 30.06.2021 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना सं. 14/2021-केंद्रीय कर में संशोधन करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा.का.नि. 369(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 31.07.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा.का.नि. 370(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए आईटीसी विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 30.06.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा.का.नि. 450(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. 14/2020 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिए देय शास्ति को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा.का.नि. 374(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा.का.नि. 377(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 380(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 402(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्टाईस) सा.का.नि. 405(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर सीजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4458/17/21 ]

(21) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 311(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल 2021माह के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 372(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 की कर अवधियों के लिए नियत समय हेतु ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) सा.का.नि. 375(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 378(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पाँच) सा.का.नि. 381(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ताप्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने सेपहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी – प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 403 (अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8 / 2017 – एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं

बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

)सात( सा.का.नि. 406(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड 19 राहत आपूर्तियों पर आईजीएसटी की रियायती दर को 30 सितम्बर, 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

)आठ( सा.का.नि. 383(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.09.2019की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर में संशोधन करना है ताकि पोतों / जलयानों के संबंध में बी2बी एमआरओ सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान को प्राप्तकर्ता के स्थान में बदला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4459/17/21 ]

(22) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 312(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल

2021माह के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (दो) सा.का.नि. 373(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 की कर अवधियों के लिए नियत समय हेतु ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 376(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 379(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पाँच) सा.का.नि. 382(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43 वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता – प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी – प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर

जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 404(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12 06.2021.को हुई जीएसटी परिषद की 44 वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में प्रतिशत कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

)सात( सा.का.नि. 407(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 06.2021.को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर यूटीजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT4460/17/21 ]

(23) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. आईएफएससीए / 2020-21 / इंडिया आईएनएक्स / 120 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया इंटरनेशनल

एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा (प्रतिभूति संविदा (विनियमन) का विनियम 12) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018) के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के बारे में है ।

- (दो) अधिसूचना सं. आईएफएससीए / 2020-21 / इंडिया आईसीसी / 126 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा (प्रतिभूति संविदा (विनियमन) का विनियम 12) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018) के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के बारे में है ।
- (तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण )बुलियन एक्सचेंज) (संशोधन (विनियम, 2021, जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी014 में प्रकाशित हुए।
- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण )बैंकिंग) (दूसरा संशोधन (विनियम, 2021 जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी013 में प्रकाशित हुए।
- (पाँच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021, जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी012 में प्रकाशित हुए ।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए / 2021-22 / जीएन / आरईजी011 में प्रकाशित हुए ।

- )सात( अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण )वित्त कंपनी( विनियम, 2021 जो दिनांक 31मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/ जीएन/आरईजी010 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 16अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी010 में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- )आठ( अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण )बैंकिंग) (संशोधन( विनियम, 2021 जो दिनांक 31 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/ जीएन/आरईजी009 में प्रकाशित हुए।
- )नौ( अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/ आरईजी008, जो दिनांक 5फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और जिसके द्वारा अर्हक वित्तीय संविदा को निर्दिष्ट किया गया है।
- )दस( अधिसूचना संख्या आईएफएससीए / 2020-21 /जीएन / आरईजी004, जो दिनांक 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 20 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए / 2020-21 / जीएन / आरईजी004 में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- )ग्यारह( अधिसूचना संख्या आईएफएससीए / 2020-21 / एनएसई – एनआईसीसीएल / 262, जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जो एनएसई आईएफएससी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 के विनियम 12 के तहत मान्यता के नवीकरण के बारे में है ।

)बारह( अधिसूचना संख्या आईएफएससीए / 2020-21 / एनएसई – एनआईसीसीएल / 245 जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जो एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 के विनियम 12 के तहत मान्यता के नवीकरण के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT4461/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4462/17/21 ]

(3) ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4463/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, डॉ. सुभाष सरकार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT4464/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, डॉ. भागवत कराड की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

[Placed in Library, See No. LT4465/17/21 ]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.03.2021 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में 31.03.2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT4466/17/21 ]

(3) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[Placed in Library, see No LT 4467/17/21]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 267 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 268 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 269 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III अधिकारी और क्लास-IV कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 270 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III कर्मचारी (परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक क्षमता के इन-हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 272 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 273 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 459 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक क्षमता के इन-हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 474 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते का संदाय) संशोधन नियम,

2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 476 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III और क्लास-IV कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 477 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 478 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का संशोधन) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 479 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का संशोधन) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 480 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 481 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, see No LT 4468/17/21]

(5) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप धारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का तैयार किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 11 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई /आरईजी /5 /177 /2021 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई /आरईजी /3 /175 /2021 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई /आरईजी /6 /178 /2021 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) विनियम, 2021 जो दिनांक 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई /आरईजी /2 /174 /2021 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन होने पर शेयरधारकों या सदस्यों को दिए जाने वाले प्रतिकर के आकलन की रीति) विनियम, 2021 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई /आरईजी /4 /176 /2021 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, see No LT 4469/17/21]

(6) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 262 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) बीमा लोकपाल (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 334 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 19 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 337 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, see No LT 4470/17/21]

(7) बीमांकिक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत बीमांकिक (पेशेवर और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 417 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, see No LT 4471/17/21]

-----